

/36876/2022 उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राज्य /निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 अप्रैल 2022 को आयोजित स्टेयरिंग कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त बैठक में उपस्थिति:-

1. श्री रविनाथ रमन, सचिव, तकनीकी शिक्षा /विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री चन्द्रेश कुमार, सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ एन०ए० जोशी, कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. प्र० ओ०पी०ए० नेगी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. डॉ पी०पी० ध्यानी, कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
6. प्र० एन०ए० भण्डारी, कुलपति, सोबन सिंह जीना, विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
7. प्र० सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. सुश्री मोनिका मित्तल, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सुश्री अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री एम०ए० सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. श्री शिवस्वरूप त्रिपाठी, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. श्री व्योमकेश दुबे, अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. डॉ संदीप कुमार शर्मा, प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
14. श्री एम०ए०ए० रावत, सलाहाकार, रुसा।
15. श्री के० डी० पुरोहित, सलाहाकार, रुसा।
16. श्री आर०पी० गुप्ता, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन तथा उपस्थित अधिकारीगणों का स्वागत कर बैठक प्रारम्भ की गयी।

बैठक में अवगत कराया गया कि गुणवत्तापरक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-1139, दिनांक 20.09.2020 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है।

यह भी अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या-1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रकोष्ठों की स्थापना एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं चाइस बेर्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

तदोपरान्त अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति/कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि पाठ्यक्रम निर्धारण के सम्बन्ध में प्रथम दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11-12 अक्टूबर, 2021 को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में किया गया। इस कार्यशाला में राज्य विश्वविद्यालयों (दून विश्वविद्यालय देहरादून, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय) को निर्धारित संरचना के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु अलग-अलग विषयों को आवंटित किया गया था। उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों को विषय-विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित

/36876/2022 करवाकर अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति को प्रेषित किये गये, जिसके उपरान्त कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 06, 07 व 08 जनवरी, 2022 को 03 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला (National Education Policy 2020: Curriculum Design for State of Uttarakhand) का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के समस्त सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 में उपलब्ध कराये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत निर्मित समस्त पाठ्यक्रमों को इस कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से एवं ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर गहन विचार-विमर्श किये जाने के उपरान्त पाठ्यक्रमों को संशोधित कर विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किया गया तथा समस्त हितधारकों से इन निर्मित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा समस्त हितधारकों (Stakeholders) से प्राप्त सुझावों को परिशोधित किये जाने हेतु निर्मित पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रम निर्माण समिति को प्रेषित किया गया। समिति द्वारा इन सुझावों की समीक्षा करने के उपरान्त समस्त पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप प्रदान किया गया। समिति द्वारा इन सुझावों की समीक्षा करने के उपरान्त समस्त पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप प्रदान किया गया।

अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति/कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा समस्त हितधारकों (Stakeholders) से प्राप्त सुझावों को परिशोधित किये जाने हेतु निर्मित पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रम निर्माण समिति को प्रेषित किया गया। समिति द्वारा इन सुझावों की समीक्षा करने के उपरान्त प्राप्त फीडबैक/सुझावों को आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए समस्त पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप प्रदान किया गया। फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात् प्रथम चरण में स्नातक कला एवं मानविकी (21 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (12 विषय), वाणिज्य (2 विषय), बी०बी०ए०, बी०एच०एम० सहित अनिवार्य विषय (सह-पाठ्यचर्या के 9 विषय) के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल की वेबसाईट www.kunainital.ac.in पर अपलोड कर दिये गये हैं (Annexure-1)। अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति/कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या-1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 50 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी अवगत कराया कि यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा है तथा उसका न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) अद्यतन निर्मित नहीं है तो ऐसे विषयों के पाठ्यक्रम निर्मित किये जाने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए "विषय विशेषज्ञ समूह" का गठन किया जायेगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ऐसे विषयों हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।

अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति/कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं चाइस बेर्सड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम

/36876/2022 के संदर्भ में पाठ्यक्रम निर्धारण समिति एवं स्टेयरिंग कमेटी के सदस्यों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिन्दुवत स्पष्ट किया गया :-

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)–

- 1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराये गए पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। (उदहारण के लिए यदि किसी विषय/पेपर हेतु तैयार किये गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार समिलित कर सकते हैं।)
- 1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक विषय (Major/Minor इत्यादि) के क्रेडिट निर्धारित किये गए हैं, उस विषय में समिलित टॉपिक्स हेतु कितने—कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखेंगे, यह सम्बन्धित विश्वविद्यालय तय करेगा।

2. क्षेत्र (Scope)–

- 2.1 यह व्यवस्था Basic & Applied Sciences, Arts, Social Sciences & Humanities, Languages & Commerce के सभी संकायों पर लागू होगी।
- 2.2 चिकित्सा (Medicine & Dental etc.), B.Tech., Agriculture, M. B. A., M. C. A., विधि (बी०ए०—एल०एल०बी०, बी०एस०सी०—एल०एल०बी०, एल०एल०बी०, एल०एल०एम० इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी०एड०, एम०एड०, बी०पी०एड०, एम०पी०एड० इत्यादि) फार्मेसी (बी० फार्मा०, एम० फार्मा० इत्यादि) के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम एवं संरचना उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् लागू किया जायेगा।

3. परिभाषाएं –

3.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम०, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पीएच०डी० इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)–

- 3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 3.2.2 विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.3 विषय (Subject)–

- 3.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्मु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)–

- 3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग—अलग होगा।

4. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी

सभी विश्वविद्यालय ख्यात तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे—

- 4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी०ए०, बी०ए०स०सी०, बी०कॉम० आदि) में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।
- 4.2 स्नातक (शोध सहित) बी०ए०, बी०ए०स०सी०, बी०कॉम० आदिद्व एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगा।
- 4.3 बी०ए० आनर्स, बी०ए०स०सी० आनर्स, बी०कॉम० आनर्स इत्यादि एवं अन्य एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगा।
- 4.4 पीएच०डी० कार्यक्रमों में नवीन व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू होगी।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

(Annexure - 2)

- 5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- 5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 5.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 5.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में (4/5/6 क्रेडिट) का होगा।
- 5.6 माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय (own faculty or other faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.7 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 5.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।
- 5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

- 5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवे एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।
- 5.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

(Annexure - 2)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक-एक कौशल विकास कोर्स ($3 \times 4 = 12$ क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम) पूर्ण करना होगा।

7. सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course)

(Annexure - 2)

- 7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छ: सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) करना अनिवार्य होगा।
- 7.2 विद्यार्थी को हर सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 7.3 इन छ: सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) कुमाऊँ विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.kunainital.ac.in) पर उपलब्ध हैं।

8. मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Open Online Courses)

8-1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

8-2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCs इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू० जी० सी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

9. शोध परियोजना (Research Project)

(Annexure - 2)

- 9.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में बृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी०जी०डी०आर० में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पीएच०डी० कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
- 9.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग / इंटर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 9.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाईजर किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 9.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 9.5 स्नातक स्तर एवं पी०जी०डी०आर० के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 9.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

10. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

(Annexure - 2)

- 10.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- 10.2 प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- 10.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 10.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

10.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।

10.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

10.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

10.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

10.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

11. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	

/36876/2022

/36876/2022

Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

12. उत्तीर्ण प्रतिशत

- 12.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।
- 12.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।
- 12.3 छ: सह-पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) Qualifying है तथा इनके उत्तीर्णक 40 प्रतिशत होंगे।
- 12.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/ सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाहय) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।
- 12.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाहय परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 12.6 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाहय परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 12.7 किसी भी कोर्स/ पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाहय परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्र/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।
- 12.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

13. कक्षान्नोति (Promotion)

- 13.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नति किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- 13.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात् वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के सांथ दी जायेगी :—
विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए

हों तथा पूर्व वर्षों (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य / माईनर / स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह-पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।

13.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

14. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

14.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

14.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

14.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

14.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

15. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation):— यदि विद्यार्थी सत्राता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

16. SGPA एवं CGPA की गणना –

16.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – $\text{SGPA (Sj)} = \frac{\sum(Ci \times Gi)}{\sum Ci}$	यहाँ पर – $Ci = \text{number of credits of the } i\text{th course in } j\text{th semester}$ $Gi = \text{grade point scored by the student in the } i\text{th course in } j\text{th semester}$
$\text{CGPA} = \frac{\sum(Cj \times Sj)}{\sum Cj}$	यहाँ पर – $Sj = \text{SGPA of the } j\text{th semester}$ $Cj = \text{total number of credits in the } j\text{th semester}$

16.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = \text{CGPA} \times 9.5$$

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगा:-

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment	External Examination	Total Max. Marks	Grade	Grade Point	Grade Value**
				Max. Marks 25	Max. Marks 75				
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max Marks 40	Training Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27
	Grand Total		25						209

**Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = 209 / 25 = 8.36 (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal in all the calculations

CALCULATION OF CGPA**CALCULATION OF CGPA**

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25 SGPA : 8.36	CREDIT : 21 SGPA : 6.08	CREDIT : 25 SGPA : 8.90	CREDIT : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits

(In all the semesters till now)

Thus, CGPA = $(25 \times 8.36 + 21 \times 6.08 + 25 \times 8.90 + 21 \times 7.22) / 92 = 7.73$

Hence, equivalent percentage = $7.73 \times 9.5 = 73.44$

And the Division will be First

16.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी:

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

17. उपस्थिति व केडिट निर्धारण

17.1 केडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना केडिट अपूर्ण होंगे।

17.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसर 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

17.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

18. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय—सारणी (Time-table)

18.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरूप तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

18.2 समय—सारणी (Time-table) निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

19. शिक्षण कार्य एवं प्रक्रिया (Teaching-Learning)

19.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 कार्यदिवसों अर्थात् 15 सप्ताह का शिक्षण कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।

19.2 यू० जी० सी० मानकों के अनुरूप "It should be necessary for the teacher to be available for at least 07 hours daily in the University/College, out of which at least 02 hours for mentoring of students (minimum 15 students per coordinator) for Community Development/Extra Curricular Activities/library consultation in case of Under Graduate Courses and at least 02 hours for research in case of Post Graduate courses, for which necessary space and infrastructure should be provided by the University/College. The minimum direct teaching-learning process hours should be as follows:

Assistant Professor	16 hours
Associate Professor and Professor	14 hours"

संयुक्त बैठक में प्राप्त सुझाव

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित स्टेयरिंग कमेटी एवं पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की संयुक्त बैठक में निम्न सुझाव प्राप्त हुए :—

1. भविष्य में समय की आवश्यकतानुसार नये पाठ्यक्रम भी समय—समय पर जोड़े जाने चाहिए।
2. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों/संस्थानों में मूलभूत संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात् प्रोजेक्ट वर्क/हैंडस-ऑन-ट्रेनिंग प्रथम वर्ष से प्रारम्भ किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।
3. सेमेस्टर परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण यू०जी०सी० द्वारा समय—समय पर निर्गत किये जाने वाले नये दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक होगा।
4. भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन कोर्सेस पर फोकस किया जाये, जिससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक से सुविधा एवं लाभ प्राप्त हो सके।
5. सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अध्ययन/पढ़ने की सुविधा का प्रावधान होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अपनी सुविधानुसार राज्य/देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ने का अवसर प्राप्त हो।
6. पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। इसके लिए एम०एस०एम०ई०, आई०टी०आई० और पॉलिटैकिनिक इत्यादि के साथ एम०ओ०य० किया जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके।
7. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।
8. नये सत्र 2022–23 से वार्षिक परीक्षा प्रणाली (एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम) पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए।

क्रियान्वयन

1. उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

/36876/2022

- की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 के क्रम में उपरोक्त अभिलेख में वर्णित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय रत्तर पर सम्बन्धित विषयों की पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराये जाने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू किया जाना आवश्यक होगा।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना भी आवश्यक होगा।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 21-05-2022 11:32:37
(शिलश बगौली)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या— XXIV-C-4/2022-01(06)/2019
देहरादून: दिनांक 23 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
- वरिष्ठ निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
21/6
(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

ANNEXURE-01

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

स्नातक पाठ्यक्रम तालिका

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा दिनांक 6, 7 एवं 8 जनवरी को "नेशनल एजुकेशन पालिसी करिकुलम डिज़ाइन फॉर स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड" विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत एवं विषय विषेशज्ञों द्वारा प्राप्त सुझावों के पश्चात् अंतिम रूप प्रदत्त पाठ्यक्रम

क्र.सं	विज्ञान विषय	कला और मानविकी विषय	भाषा के विषय	वाणिज्य विषय	प्रबंधन विषय	कौशल विषय	सह-पाठ्यचर्या/अनिवार्य विषय
1	वनस्पति विज्ञान (Botany)	चित्रांकन और रंगाई (Drawing and Painting)	हिंदी भाषा (Hindi Bhasha)	बी.कॉम. (B.Com.)	बीबीए (BBA)	<ul style="list-style-type: none"> • Drawing and Color Studies • Drawing & Sketching of Human Body • Head(Bust)Study with Pencil and Color • Landscape • Disaster Management • Mushroom Cultivation • Organic Farming • Basic Nutrition And Hygiene • Public Health & Hygiene • Fundamentals of Medical Laboratory • Food and Food Sources • Tour Package Operations & Management • Business Communication • Cost Accounting-Basics • Human Resource Management • Financial Literacy • Basics of 	संपर्क-व्यवहार कौशल (Communication Skills) (सेमेस्टर 1)
2	रसायन विज्ञान (Chemistry)	अर्थशास्त्र (Economics)	कुमाऊँनी भाषा (Kumauni Bhasha)	बी.कॉम. ऑनर्स (B.Com. Honour s)	बीबीए पर्टन (BBA Tourism)	<ul style="list-style-type: none"> • Head(Bust)Study with Pencil and Color • Landscape • Disaster Management • Mushroom Cultivation • Organic Farming • Basic Nutrition And Hygiene • Public Health & Hygiene • Fundamentals of Medical Laboratory • Food and Food Sources • Tour Package Operations & Management • Business Communication • Cost Accounting-Basics • Human Resource Management • Financial Literacy • Basics of 	पर्यावरण अध्ययन और मूल्य शिक्षा (Environment Studies and Value Education) (सेमेस्टर 2)
3	भौतिक विज्ञान (Physics)	शिक्षाशास्त्र (Education)	अंग्रेजी (English)				भगवद गीता से प्रबंधन प्रतिमान (Management Paradigms From Bhagavad Gita) (सेमेस्टर 3)
4	जंतु विज्ञान (Zoology)	भूगोल (Geography)	संस्कृत (Sanskrit)				वैदिक विज्ञान (Vedic Science) (सेमेस्टर 4)
5	भूगर्भशास्त्र (Geology)	इतिहास (History)					वैदिक गणित (Vedic Mathematics) (सेमेस्टर 4)
6	गणित (Mathematics)	गृह विज्ञान (Home Science)					ध्यान (Meditation) (सेमेस्टर 5)
7	वन विज्ञान (Forestry)	पत्रकारिता और जन संचार (Journalism and Mass Communication)					रामचरित मानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास (Personality Development Through Applied Philosophy of Ramcharitmans)

						Marketing • Critical Thinking and Writing • Leadership and Teamwork • Fundamentals of Business Economics • Fundamental of Accounting • Business Statistics • Fundamentals of Computers • Advertising Management • Time Management • Digital Literacy and Cyber Security • Introduction to House-Keeping • Fundamentals of Web Designing • Office Automation Tools • Digital Marketing & Management • Community Radio Technology • Data Science & Applications • Photography/ Lettering • Fashion (Apparel Designing) • Book Publication • Vedic Mathematics • Computer skills for Economic Research & Communication • Field Study Techniques &	(सेमेस्टर 5) भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार (Essence of Indian Traditional Knowledge) (सेमेस्टर 6) विवेकानन्द अध्ययन (Vivekananda Studies) (सेमेस्टर 6)
8	कंप्यूटर विज्ञान (Computer Science)	संगीत सितार (Music Sitar)					
9	सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)	संगीत तबला (Music Tabla)					
10	कंप्यूटर एप्लीकेशन (Computer Application)	संगीत गायन (Music Vocal)					
11	सांख्यिकी (Statistics)	राजनीति विज्ञान (Political Science)					
12	जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)	मनोविज्ञान (Psychology)					
13	माइक्रोबायोलॉजी (Microbiology)	ललित कला (Fine Art)					
14		समाज शास्त्र (Sociology)					
15		योग (Yoga)					
16		शारीरिक शिक्षा (Physical Education)					
17		पुस्तकालय और सूचना विज्ञान (Library and Information Science)					
18		पुरातत्त्व विज्ञान (Archaeology)					
19		फैशन डिजाइन (Fashion Design)					

/36876/2022									
						<p>Report Writing</p> <ul style="list-style-type: none">• Pharmacognosy and Herbal Preparations• Quantitative Analysis• Food Process Technology and Food Microbiology• Food Manufacturing and Entrepreneurship• Food Testing and Quality Control• Computer Application and Bioinformatics			

Bioinformatics

ANNEXURE 2**स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना –**

PROPOSED STRUCTURE FOR UG AND PG COURSES UNDER NATIONAL EDUCATION POLICY - 2020 FOR THE STATE OF UTTARAKHAND IN ACCORDANCE WITH GUIDELINES ISSUED VIDE G.O. NUMBER 1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019 DATED 08TH OCTOBER 2021

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
Year	Sem.	Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		36	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th- 1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th- 2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th- 2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th- 2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th- 2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th- 4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th- 4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th- 4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th- 4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject